संख्या- 20 / 1888ई-2/तेरह-2014-59/2011

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर,2014

विषय: शीरा नीति वर्ष 2012-13 के प्रस्तर-2 के आलोक में बहेड़ी आसवनी को आरक्षित शीरे की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-57/दस-185/देशी मदिरा/आ0शी0आ0/2009-10, दिनांक 12 सितम्बर, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2014 में की गई संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रभावी शीरा नीति वर्ष 2013-14 के प्रस्तर-2 के आलोक में मेसर्स केसर इण्टर प्राइजेज लि0, बहेड़ी, बरेली को शीरा वर्ष 2013-14 में माह जुलाई, 2014 तक देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अधिक उपभोग की गई 67,980.44 कुन्टल आरक्षित शीरे की मात्रा की प्रतिपूर्ति किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in